

Rs. 5

INDIA

FIVE RUPEES

Rs. 20

INDIA

TWENTY RUPEES

125

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक

/ 2016 निगरानी

सि.ग. - 401 - I - 16

गोपाल सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह आयु 42
साल, व्यवसाय कृषि, जाति केबट (भोई)
निवासी ग्राम व पोस्ट चाढोली तहसील
सिरोंज जिला विदिशा (म.प्र.)

..... आवेदकगण

बनाम

प्राण सिंह पुत्र नवल सिंह दांगी निवासी
ग्राम व पोस्ट चाढोली तहसील सिरोंज
जिला विदिशा (म.प्र.)

..... अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

न्यायालय नायब तहसीलदार (मण्डल 14) तहसील सिरोंज जिला
विदिशा म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 2/ए12/ 15-16 द्वारा पारित आदेश
दिनांक 02.01.2016 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक द्वारा निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत

है :-


1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किए जाने योग्य है।
2. यहकि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाकंन का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र पर कार्यवाही की गई। आवेदक को सीमाकंन की कार्यवाही के दौरान न तो कोई व्यक्तिगत सूचना दी गई और नाही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-401-एक/16

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>